Act No. 28 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 17

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

# महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 खण्डों का क्रम

### खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 41 का संशोधन ।

## महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसढवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
  - (2) यह 16 जून, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) <sup>धारा</sup> 41 का <sup>2010 का 22</sup> अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों <sup>संशोधन</sup> । के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

galdellains?m

लब्बहा<sup>ँ</sup> त **अध्यक्ष**् । क्षिणाः चना, सिनदः,

शिमला-171004. शिमलाः 30 -4-2013

मैं इत विधेयक पर अनुमति देती हैं

शिमला-171002. शिमला:2 8- 22013

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2013

THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

# THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

### ARRANGEMENT OF CLAUSES

### Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 41.

### THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

Α

#### BILL

further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

This Act may be called the Maharishi Markandeshwar Short title University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. ment.

commence-

- It shall be deemed to have come into force on 16th day of June, 2010.
- In section 41 of the Maharishi Markandeshwar University Amendment 22 of 2010 (Establishment and Regulation) Act, 2010, in sub-section (2), in the proviso, of section for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

मैं, ''महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 17)'' के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

डाकेपाल राज्यपाल हिर्माबोस प्रीदेश देंग

राज्यपाल ने "महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 17)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिरामा मान्य तिह सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।